संख्या-7/2024/77-1002(003)/1/2023/001-197

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15/03/2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत टेबलेट/स्मार्टफोन के वितरण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या- डी/23-24/5350 दिनांक 15.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 18.07.2022 के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत युवाओं को निशुल्क टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 27.07.2022 द्वारा यूपीडेस्को को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। यूपीडेस्को द्वारा 25 लाख स्मार्टफोन के क्रय हेतु आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को भुगतान किये जाने के लिये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के किये गये अनुरोध के क्रम में शासन द्वारा पत्र दिनांक 26.09.2023, 30.10.2023 एवं 12.12.2023 के माध्यम से कुल रू. 2495,58,81,759.00 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं जिन्हें यूपीडेस्को द्वारा पूर्णतः आहरित किया जा चुका है।

2- अवगत कराया गया है कि यूपीडेस्को द्वारा उक्तानुसार स्वीकृत कुल धनराशि को आवश्यकतानुसार 7 फेज़ में आहरित कर आपूर्तित कुल 25 लाख स्मार्टफोन के सापेक्ष भुगतान हेतु उपयोग किया जा रहा है जिसके सापेक्ष दिनांक 07.03.2024 तक का व्यय विवरण निम्नवत प्रस्तुत है:-

S. No.	Supplier Name	Qty for which payment done	Gross Amount Payable/Bill Amount (Col.3 * Rs. 9972)	Hold Amount in Rs. (as per RFP cond.)	Penalty for late supply in Rs.	Paid Amount in Rs. [4-(5+6)]
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>
1	Celkon Impex Pvt Ltd	6,86,275	6,84,35,34,300	20,53,06,029	1,16,46,200	6,62,65,82,071
2	Instant Procurement Services Pvt Ltd	4,41,176	4,39,94,07,072	13,19,82,212	2,98,07,000	4,23,76,17,860
3	Nf Infratech Service Pvt Ltd	5,88,235	5,86,58,79,420	17,70,15,465	11,08,389	5,68,77,55,566
4	Vision Distribution Pvt Ltd	7,84,314	7,82,11,79,208	23,46,35,376	12,70,426	7,58,52,73,406

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Total	**25,00,000**	**24,93,00,00,000**	**74,89,39,082**	**4,38,32,015**	**2413,72,28,903**

3- उल्लेख किया गया है कि आपूर्तित कुल 25 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के सापेक्ष कुल धनराशि रू. 2413,55,86,058.00 का भुगतान उपरोक्तानुसार किया जा चुका है तथा आर.एफ.पी. में भुगतान हेतु निर्धारित शर्तानुसार रोकी गयी धनराशि रू. 74,89,39,39.00 मुख्यतः शेष भुगतान (3 प्रतिशत) हेतु प्रतिबद्ध व्यय/देयता के रूप में उपलब्ध है जिसकी आगामी एक सप्ताह में देयता होगी। उक्त के अतिरिक्त योजना के अग्रेत्तर क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू. 1,51,34,669.00 योजना के खाते में निम्न विवरणानुसार उपलब्ध है:-

1	**Remaining funds from FY 2022-23**		**2,04,20,895.00**
2	Budget Provision in FY 2023-24		3600,00,00,000.00
3	**Total Funds Sanctioned**		**2495,58,81,759.00**
4	**Total Funds Withdrawn**		**2495,58,81,759.00**
5	**Payment Done**		**2421,22,28,903.00**
	5.1	Payment to suppliers against the supply of 25 Lacs Smart phones	2413,72,28,903.00
	5.2	Payment to UPDESCO for administrative expenses	7,50,00,000.00
6	**Hold Amount**		**74,89,39,082.00**
	6.1	3% Hold Amount as per contract condition	74,79,00,000.00
	6.2	Hold amount for other reasons	10,39,082.00
7	**Remaining Funds (1+4-5-6)**		**1,51,34,669.00**

4- वर्तमान में 15 लाख टैबलेट्स के क्रय के लिये जेम पोर्टल पर प्रकाशित बिड अभिलेख संख्या GEM/2023/B/3715063, दिनांक 11.08.2023 के सापेक्ष शासन के पत्र दिनांक 06.03.2024 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नानुसार चयनित पाँचों संस्थाओं को प्रति टैबलेट की दर रू. 12.456.00 के आधार पर आपूर्ति किये जाने हेतु दिनांक 06.03.2024 को Letter of Intent (LoI) जारी करते हुये संस्थाओं की सहमति उपरान्त दिनांक 11.03.2024 को जेम कान्ट्रेक्ट निर्गत किये गये हैं:-

S. No.	Bidder Name	OEM Name	Allocated Quantity
1	M/s Celekt Gadgets LLP	M/s Acer India Private Limited	3,50,877
2	M/s Vision Distribution Private Limited	M/s Samsung India Electronics Private Limited	3,57,018

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	M/s NF Infratech Service Private Limited	M/s Samsung India Electronics Private Limited	2,60,526
4	M/s ArMee Infotech Private Limited	M/s Acer India Private Limited	2,80,702
5	M/s SISL Infotech Private Limited	M/s Samsung India Electronics Private Limited	2,50,877
		Total	**15,00,000**

5- निविदा की शर्तानुसार आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा जेम कॉन्ट्रेक्ट जनरेट होने की तिथि अर्थात दिनांक 11.03.2024 से 180 दिनों में कुल 15 लाख टैबलेट्स की आपूर्ति निम्नानुसार डिलीवरी शिड्यूल के अनुसार की जानी निर्धारित है:-

Date (T0 is date of Contract i.e., 11-03-2024)	Cummulative Supply of Tablets	
	in Percentage	in Quantity
T0+30	15%	2,25,000
T0+60	30%	4,50,000
T0+90	50%	7,50,000
T0+120	70%	10,50,000
T0+150	85%	12,75,000
T0+180	100%	15,00,000

6- यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त डिलीवरी शिड्यूल के अनुसार जेम कॉन्ट्रेक्ट जनरेट होने की तिथि अर्थात दिनांक 11.03.2024 से 90 दिनों में क्रमशः 2,25,000, 2,25,000 एवं 3,00,000 टैबलेट्स (कुल 7,50,000 टैबलेट्स) की आपूर्ति प्राप्त होना सम्भावित है जिनकी लॉटवार आपूर्ति उपरान्त आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा भुगतान हेतु अपने बीजक प्रस्तुत किये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है अतः सम्भव है कि आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2024 में आपूर्ति की जाने वाली मात्रा को संज्ञान में लेकर अपनी टर्न ओवर के दृष्टिगत इस वित्तीय वर्ष में ही अधिकाधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये। ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार कुल 7,50,000 टैबलेट्स की मात्रा के आधार पर भुगतान हेतु बजट की धनराशि की आवश्यकता होगी।

7- उपरोक्तानुसार 15 लाख टैबलेट्स में से माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2024 (90 दिनों) में कुल 7,50,000 टैबलेट्स की आपूर्ति प्राप्त होने की सम्भावना है। उक्त के दृष्टिगत प्रति टैबलेट की दर रू. 12,456.00 के अनुसार प्रतिबद्ध व्यय के रूप में कुल धनराशि रू. 934,20,00,000.00 (50% of 15 Lacs x 12456) के अनुमानित व्यय की सम्भावना है। अतएव वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 007 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)-लेखा शीर्षक-2852-उद्योग-800-अन्य व्यय-04-स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना-0401-टेबलेट/स्मार्टफोन वितरण-42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से उपरोक्तानुसार अनुमानित व्यय रू. 934,20,00,000.00 में से वर्तमान में योजना के अग्रेत्तर क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध धनराशि रू. 151,34,669.00 को घटाते हुये शुद्ध धनराशि रू. 932,68,65,331.00 (रू. नौ सौ बत्तीस करोड़ अड़सठ लाख पैसठ हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति यूपीडेस्को के पक्ष में निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

8- अतएव वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 360000.00 लाख में से रू0 932,68,65,331.00 (रू. नौ सौ बत्तीस करोड़ अड़सठ लाख पैसठ हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या- 1-417/10-2013-16/94 दिनांक 26.02.2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से संबंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र 6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का राजकोष से एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। धनराशि का आहरण, वास्तविक रूप से आपूर्ति की गयी सामग्री के सापेक्ष नियमानुसार देय भुगतान के अनुसार ही, राजकोष से किया जायेगा।
8. भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित Bid Documents में क्रय सामग्री हेतु उल्लिखित तकनीकी विशिष्टियों, आपूर्ति, टेस्टिंग, डाक्यूमेन्टेशन, वारण्टी आदि एवं अन्य सभी आवश्यक Terms & Conditions का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. आहरण/भुगतान किये जाने से पूर्व जहां आवश्यक हो सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में सुंसगत मैनुअल/शासनादेशों/नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 932,68,65,331.00 (रू. नौ सौ बत्तीस करोड़ अड़सठ लाख पैसठ हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2852808000401 टेबलेट / स्मार्ट फोन का वितरण **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,
(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

<u>**संख्या-7(1)/2024/77-1002(003)/1/2022/001-178, तद् दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।